संख्या-2023/001-383422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **02** फरवरी, **2023**

विषय:- 63-विभिन्नि जनपदों के स्टेडियम में अवस्थापनाओं के विकास-26-मशीनें और सज्जा-/उपकरण और संयंत्र '' के अन्तर्गत अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-1101/2022-23, दिनांक 16.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-15, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा उक्त संस्था द्वारा विभिन्न जनपदों में अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना करायी गयी थी तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में शासन स्तर से सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को जेम के माध्यम से अत्याधुनिक जिम उपकरणों को क्रय कर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय, हमीरपुर, क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय, फर्रूखाबाद, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, लखनऊ (मिनी स्टेडियम, विनयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ हेतु), क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, चित्रकूटधाम मण्डल चित्रकूट, क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय, बिजनौर तथा क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय, बुलन्दशहर के विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ स्पोर्ट्स स्टेडियम में अत्याधुनिक जिम उपकरण लगवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिम इक्यूपमेन्टम की प्रक्रिया/मानक का निर्धारण करते हुए जनपद हमीरपुर, जनपद फर्रूखाबाद, जनपद लखनऊ (मिनी स्टेडियम, विनयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ हेतु), जनपद चित्रकूट, जनपद, बिजनौर तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद बुलन्दरशहर के विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत अत्याधुनिक जिम उपकरणों का क्रय शासनादेश संख्याम-1361/बयालिस-2020, दिनांक 17.09.2020 में उल्लिखित शर्तो के आधार पर जेम पोर्टल के माध्यम से कराने हेतु उनकी मॉग के अनुसार 63-विभिन्न जनपदों के स्टे डियम में अवस्थापनाओं का विकास-26-मशीनें एवं सज्जा-/उपकरण और संयंत्र मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि आवंटित करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038006300 विभिन्न जनपदों के स्टेडियमों में अवस्थापनाओं का विकास मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-383422023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
2- सम्बन्धित, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/ क्रीड़ा अधिकारी, खेल विभाग, उ0 प्र0 ।
3- निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0 प्र0 कानपुर ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी/ सहायक निदेशक, खेल निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ ।
5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।